न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 28/2021

1. शान्ति पत्नि प्रभु
2. रोहताश
3. शिवराम
4. मुकेश
5. शिवचरण
6. राजेन्द्र पिसरान प्रभु
7. आशा पुत्री प्रभु जातियान जाटव निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादीगण

दिनांक :– 21/01/2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया किं आराजी खसरा नम्बर 393/0.35, 396/0.23, 397/0.20, 398/0.15, 405/0.15 किता 5 रकबा 1.08 हैक्टर बांके ग्राम हर्रूका तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्गो की आराजी है जो वादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। विवादित आराजी वादनी संख्या 1 के ससुर व वादीगण संख्या 2 लगायत 7 के दादा नत्थी पुत्र लेखा की आराजी थी। जिस पर अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक नत्थी ने वाहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त की और उसके मरने के बाद उसके वारिसान पिता व पति वादीगण वाहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त की और प्रभु के मरने के बाद उसके वारिस वादीगण आराजी मुत0 को अपने पिता के समय से ही वाहिस्सा बराबर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी आराजी पर वादीगण का कब्जा व काश्त है। जिसमें वादीगण की फसल खडी हुई है वादीगण प्रभु के वारिसान है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है जो खिलाफ कानून है। वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर बाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगणी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14/01/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी मुत0 पर वादीगण का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उनका पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज भी आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है एवं मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। आराजी मुताबिक रिकॉर्ड वादीगण के बुजुर्गान की आराजी हैएवं आराजी धारा 16 आर0टी0 एक्ट के अन्तर्गत नहीं आती है वादीगण को आराजी पर खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्गान की पैतृक आराजी है है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया विवादित आराजी पर वादीगण बुजुर्गान के समय से ही काबिज काश्त रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आराजी पर अपने आपको गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

<u>3 :– दादरसी ।</u>

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 शान्ति , पी0डब्लू02 शिवराम, पी0डब्लू03 राजेन्द्र के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2011–13, 2014–16, 2018–21, 2026–29, 2030–33, 2034–37, 2038–41, 2042–45, 2047–50,2051–54, 2055–58, 2059–62, 2067–70, 2074 और हाल खसरा सम्वत 2075–78, नकल खसरा गिरदावरी 2014–18, मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या :– 1 आया विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्गान की पैतृक आराजी है है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2010–13 में आराजी वादीगण के बुजुर्गान नत्थी पुत्र लेखा की गैर मौरोसी की आराजी थी। नत्थी के मरने के बाद आराजी विरासतन प्रभु पुत्र नत्थी और प्रभु के मरने के बाद आराजी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है। जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2010–113 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। संलग्न रिकॉर्ड से साबित है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया विवादित आराजी पर वादीगण बुजुर्गान के समय से ही काबिज काश्त रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आराजी पर अपने आपको गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. **दादरसी** :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 393/0.35, 396/0.23, 397/0.20, 398/0.15, 405/0.15 किता 5 रकबा 1.08 हैक्टर बांके ग्राम हर्रुका तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड पहाडी
(उप जिला कलेक्टर)

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 28/2021

1. शान्ति पत्नि प्रभु
2. रोहताश
3. शिवराम
4. मुकेश
5. शिवचरण
6. राजेन्द्र पिसरान प्रभु
7. आशा पुत्री प्रभु जातियान जाटव निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 393/0.35, 396/0.23, 397/0.20, 398/0.15, 405/0.15 किता 5 रकबा 1.08 हैक्टर बांके ग्राम हर्रूका तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त. मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/01/. सन् 2022 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

मुहर उपखण्ड पहाडी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2.00		स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		